दिनांक: 27/02/2018

क्यूसीटी - 2015-16-000037

सेवा में,

ताजा अंगूर के सभी निर्यातक

विषय: अंगूर के निर्यातकों को अवशेष विश्लेषण रिपोर्ट उत्पादकों के साथ साझा करने हेतु परामर्श

प्रिय निर्यातक,

यह पत्र उत्पादकों को अंगूर की अवशेष विश्लेषण रिपोर्ट का निर्गमन करने हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार के दिनांक 12/02/2018 के प्रस्ताव के संदर्भ में है। अंगूर के निर्यात की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रावधान, पैरा 6.8 परिभाषित करता है कि यदि परीक्षण के परिणाम निर्यातक/फैनर द्वारा घोषित कंसाइनमेंट की मिलों से अधिक हो जाते हैं तो प्रयोगशाला शीघ्र (24 घंटे के भीतर) मामले को परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति के साथ प्लॉट और स्तर से अधिक रसायनों का विवरण देते हुए एनआरआई, पीएससी जारी करने वाले प्राधिकरण , निरीक्षण प्राधिकरण (बागवानी/कृषि अधिकारी) (जिसका पता अनुबंध-2 में दिया गया है) , निर्यातक/किसान और एपीडा के ध्यान में लाएगा। प्रयोगशालाएं, विफल नमूनों के मामले में , एनआरआई को क्रोमैटोग्राम आदि भी भेजेगी। इस पारे का उद्देश्य एमआरएल से अधिक होने की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई करना है ताकि अनुपालन न करने वाले उत्पाद का निर्यात न हो सके। यह एनआरएल को आंतरिक अलर्ट जारी करने में भी सक्षम बनाता है।

सामान्य तौर पर, प्रयोगशालाएं निर्यातक/किसान को विश्लेषण रिपोर्ट जारी करती हैं जो प्रयोगशालाओं के ISO-I 7025 प्रत्यायन के प्रावधानों के अनुसार नमूनाकरण और विश्लेषण का आदेश देती हैं। अनुबंध-10 में दिया गया प्रारूप, अंगूर के निर्यात के लिए प्रक्रिया के अवशेष विश्लेषण का प्रमाण पत्र (पहला नमूना/पुनः नमूना) भी इस आवश्यकता के अनुरूप है इसलिए यह संबंधित किसान को विश्लेषण रिपोर्ट जारी करने को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है क्योंकि यह ISO-17025 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं होगा।

तथापि, अंगूर के निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित उत्पादकों के साथ प्रयोगशालाओं द्वारा जारी अर्हक अवशेष विश्लेषण प्रमाणपत्र साझा करें।

भवदीय,

देवेंद्र प्रसाद
उप महाप्रबंधक